प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 20.08.2025

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मोबाइल स्नैचिंग करने वाला एक अभियुक्त मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, स्नैचिंग किया हुआ 01 मोबाइल फोन व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद ।

आज दिनांक 20.08.2025 की सुबह थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा लुट व स्नैचिंग की घटनाओं की रोकथाम हेतु सिटी फॉरेस्ट से नाग द्वार चौराहे की तरफ आने वाले मार्ग पर चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल पर सवार आ रहे दो संदिग्ध व्यक्ति को रूकने का इशारा किया गया परंतु पुलिस टीम के इशारे पर न रूकते हुए भागने लगे तथा पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया तो मोटर साइकिल सवार दो व्यक्ति ने पुलिस टीम द्वारा अपने आप को घिरता देख कुछ दूरी से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में फायर किया। जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। जिससे अभियुक्त घायल होकर नीचे गिर गया तथा दूसरा अभियुक्त मौका देखकर भाग गया। पुलिस टीम द्वारा मौके से एक अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्त ने अपना नाम अमन पुत्र ओमवीर निवासी 30 फूटा रोड गली न0 11 नंदग्राम थाना नंदग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष बताया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, स्नैचिंग किया हुआ 01 मोबाइल फोन व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त ने बरामद मोटर साइकिल को दिल्ली से चोरी किया था। इसी चोरी की मोटर साइकिल से अभियुक्त और उसका दोस्त शिवम निवासी दिल्ली के साथ मोबाइल फोन स्नैचिंग करता है और उन्हें राह चलते अनजान व्यक्तियों को बेच देते हैं। दोनों अभियुक्तों ने पिछले कुछ समय में कई सारे व्यक्तियों से मोबाइल फोन छीनने की घटना को स्वीकार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अमन पुत्र ओमवीर निवासी 30 फूटा रोड गली नो 11 नंदग्राम थाना नंदग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, स्नैचिंग किया हुआ 01 मोबाइल फोन व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, दिल्ली एनसीआर में लूट, स्नैचिंग, चोरी, आर्म्स एक्ट, गुंडा एक्ट आदि से सम्बन्धित लगभग डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

नवीन मोबाइल फॉरेंसिक वैन के फील्ड यूनिट कमिश्नरेट गाजियाबाद को हस्तांतरण के सम्बंध में

01 जुलाई 2024 से लागू नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम-2023 (BNSS 2023) की धारा 176 (3) के अनुसार पुलिस को 07 वर्ष या उससे अधिक की सजा के प्रावधान वाले अपराधों में फॉरेंसिक विशेषज्ञ (Forensic Expert) से घटनास्थल का निरीक्षण कराना अनिवार्य किया गया है।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के सभी कमिश्नरेट / जनपदों हेतु मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 18.08.2025 को 75 मोबाइल फॉरेंसिक वैन का राजधानी लखनऊ से फ्लैग ऑफ किया गया। आज दिनांक 20.08.2025 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद को आवंटित नवीन मोबाइल फॉरेंसिक वैन फील्ड यूनिट को हस्तांतरित की गई। इसके साथ अब पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में 03 फॉरेंसिक बैन कियाशील हैं जिनके द्वारा कमशः नगर जोन, ग्रामीण जोन व ट्रांस-हिण्डन जोन को आपराधिक घटनाओं में फोरेंसिक सपोर्ट उपलब्ध कराया जा रहा है।

नवीन आवंटित फॉरेंसिक वैन अत्याधुनिक किट्स से सुसज्जित है एवं एक्सपर्ट्स द्वारा घटनास्थलों पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के संग्रहण, पैकिंग, लेबलिंग, फॉरवर्डिंग के साथ रक्त, सीमेन ड्रग्स आदि की प्रारम्भिक जॉच मौके पर की जा सकेगी। इस वैन में Crime Scene Protection /Cordoning Kit, Crime Scene Evidence Collection Kit, Preservation and Packing kit, Crime Scene Preliminary Examination Kit, Crime Scene preliminary Narcotics Drug Detection Kit उपलब्ध है। यह फॉरेंसिक वैन प्रदेशों को सुरक्षित लाने जे जाने के लिए छोटे रेफ्रिजरेटर तथा साक्ष्य संकलन, रिकार्डिंग हेतु Laptop, Video Camera, hard Disc etc से सुसज्जित है।

फॉरेंसिक सपोर्ट की त्वरित उपलब्धता से न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और पीडित केंद्रित बनेगी जिससे उ०प्र० शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों को शीघ्र दंड मिल सके और पीडित को न्याय मिल सके।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थ अवैध गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 13 किलो 70 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 19.08.2025 को रात्रिकालीन चेकिंग के दौरान निठौरा अन्डरपास से 40-50 कदम पहले थाना लोनी क्षेत्र से मादक पदार्थ अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त सलीम पुत्र नफीस निवासी अमन गार्डन थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 13 किलो 70 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा-8/20 NDPS ACT के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं यह अवैध गांजा चोरी-छिपे उडीसा राज्य से लेकर आता हूँ तथा उस गांजे की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर NCR क्षेत्र दिल्ली व गाजियाबाद में राह चलते लोग जो गांजा पीने के आदी है उनको बेच कर मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–

सलीम पुत्र नफीस निवासी अमन गार्डन थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध अवैध गांजा बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लोनी पर NDPS ACT के 07 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

13 किलो 70 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा 315 बोर व जिन्दा कारतूस बरामद।

आज दिनांक 20.08.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चौकी क्षेत्र मण्डौला से अवैध 01 तमंचा देशी 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त शाहरूख पुत्र आश मोहम्मद हाल पता निठौरा रोड मुस्तफाबाद लोनी गाजियाबाद मूल पता ग्राम हिलबाडी थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरादगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त शाहरूख ने पूछताछ करने पर बताया कि यह देशी तमंचा में दिल्ली से खरीद कर लाया था। मैं देशी तमंचा दिखाकर लोगों के मन में भय बनाकर अपना रौब जमाता हूँ। आज यह तमंचा लेकर मैं घूम रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शाहरूख पुत्र आश मोहम्मद हाल पता निठौरा रोड मुस्तफाबाद लोनी गाजियाबाद मूल पता ग्राम हिलबाडी थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

अवैध 01 तमंचा देशी 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त शाहरूख के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग तथा अवैध गांजा बरामद होने के सम्बन्ध में थाना लोनी पर 01 अभियोग व थाना बहादुरगढ जनपद हापुड पर 01 अभियोग (कुल 03 अभियोग) पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा अवैध नशे की गोलियाँ बेचने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध अल्प्राजोलम की 2400 गोलियाँ व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 20.08.2025 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध नशे की गोलियाँ बेचने वाले 02 अभियुक्त 1. उमेश पुत्र चन्दसेन निवासी गली न0 5 प्रकाश नगर खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष व 2. नरेश पुत्र स्व0 प्रेम सिंह निवासी आर सी-479 प्रकाश नगर खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद मूल पता मौनीखाल थाना राजनगर अलमोडा जिला अलमोडा उत्तराखण्ड उम्र करीब 34 वर्ष को इन्दिरापुरम अण्डरपास के पास से अवैध अल्प्राजोलम की 2400 गोलियाँ व चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 317(2),317(5) बीएनएस व 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्त ने बरामद मोटर साइकिल को पिछले महीने दिल्ली से चोरी किया था। दोनों अभियुक्तों ने इसी मोटर साइकिल से नशे की गोलियाँ बेचने का काम शुरु किया तथा दोनों अभियुक्त बरामद अल्प्राजोलम की गोलियाँ को दिल्ली से सस्ते दामों पर खरीदकर लाते है और गाजीपुर सब्जी मण्डी, आनन्द विहार रेलवे स्टेशन, सैक्टर-62 नोएडा चौराहा आदि जैसी जगहों पर नशा करने वाले लोगों को महगें दोमों पर बेचते है। दोनों अभियुक्त लूट व चोरी जैसे अभियोग में पूर्व में जेल जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. उमेश पुत्र चन्दसेन निवासी गली न0 5 प्रकाश नगर खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष।
2. नरेश पुत्र स्व0 प्रेम सिंह निवासी आर सी-479 प्रकाश नगर खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद मूल पता मौनीखाल थाना राजनगर अलमोडा जिला अलमोडा उत्तराखण्ड उम्र करीब 34 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- अल्प्राजोलम की 2400 गोलियाँ
- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त उमेश उपरोक्त के विरूद्ध गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर व दिल्ली एनसीआर में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 09 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त नरेश उपरोक्त के विरूद्ध गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर व दिल्ली एनसीआर में लूट, चोरी, गैगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि से सम्बन्धित 21 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त नरेश उपरोक्त थाना खोडा से हिस्ट्रीशीटर है। जिसका क्रमांक 63 ए है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।

सेव लाइफ फाउंडेशन के जीवन रक्षक कार्यक्रम के अंतर्गत यातायात पुलिस को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण

पुलिस आयुक्त गाजियाबाद महोदय के निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने तथा दुर्घटना में घायल को शीघ्र व प्रभावी राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज पुलिस लाइन्स, गाजियाबाद

स्थित *परमजीत हॉल* में **सेव लाइफ फाउंडेशन की विशेषज्ञ टीम द्वारा जीवन रक्षक कार्यक्रम** के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त-अपराध व कानून व्यवस्था, द्वारा किया गया, जिसमें सहायक पुलिस आयुक्त यातायात प्रथम/द्वितीय सहित कुल 45 यातायात पुलिस अधिकारी (निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक गण) ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान सेव लाइफ फाउंडेशन के सीईओ एवं संस्थापक श्री पीयूष तिवारी तथा उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा सड़क दुर्घटना की स्थिति में **गोल्डन ऑवर (प्रथम घण्टे)** के महत्व को विस्तार से समझाते हुए गुड सेमेरिटन के सम्बन्ध में भी जागरूक किया गया। टीम द्वारा प्रतिभागियों को सीपीआर (Cardio Pulmonary Resuscitation) की सही विधि का व्यावहारिक अभ्यास भी कराया गया, तथा दुर्घटना के समय अंग भंग होने की दशा में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि किसी भी प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया शुरू करने से पहले स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शेष बचे यातायात कर्मियों को अगले चरणों में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में अधिकांशतः मृत्यु समय पर प्राथमिक उपचार न मिलने के कारण होती हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट है, कि पुलिस किसी भी सड़क दुर्घटना घटित होने की दशा में सबसे पहले पहुँचती है, ऐसे में आवश्यक है, कि सभी पुलिस कर्मी सीपीआर के सम्बन्ध में जागरूक एवं प्रशिक्षित हों। पुलिस कर्मियों को सीपीआर एवं प्राथमिक उपचार की विधियों का प्रशिक्षण दिए जाने से ***दुर्घटना पीड़ितों की जीवन रक्षा की संभावनाएँ कई गुना बढ़ जाएँगी।***

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त-अपराध व कानून व्यवस्था, सहायक पुलिस आयुक्त यातायात प्रथम/द्वितीय, सेव लाइफ फाउंडेशन के सीईओ व संस्थापक श्री पीयूष तिवारी एवं उनकी प्रशिक्षक टीम सहित यातायात पुलिस के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सहायक पुलिस आयुक्त- यातायात, मुख्यालय,
कमिश्नरेट-गाजियाबाद।